न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 434/2016

प्रार्थीगण :–

1 गुलजग प्रोपर्टी लीजीज प्राईवेट लिमिटेड मुम्बई के डायरेक्ट श्री धीरेन्द्र धूत पुत्र श्री उमेशजी धूत जाति माहेश्वरी जरिये अधिकृत प्रतिनिध ईश्वरसिंह चौहान पुत्र श्री रूगनाथसिंह जाति राजपूत निवासी न्यू बी जे एस कॉलोनी जिला जोधपुर (राज)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. श्रीमति रीटादेवी पत्नि श्री मुरलीधर पुत्र केसरीमलजी जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 16-2-17

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रामसीन के पटवार हल्का क्षेत्र रामसीन मे खसरा न0 788/656 रकबा 1 बीघा सरहद मौजा रामसीन तहसील पचपदरा में स्थित है, उक्त भूमि के उत्तर दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 व पश्चिम दिशा में विप्रार्थीग संख्या 1 की भूमि खेत खेत खसरा न0 776/656 रकबा 6 विस्वा व खसरा न0 1094/656 रकबा 14 विस्वा कुल 1 बीघा भूमि में अवस्थित है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या –1 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 6.7.2016 को तलब किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 को बाद तामिल के प्राप्त हुआ। उसके बावजूद अनुपस्थित अतः उक्त विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक बालोतरा को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(प्रभाती लाल जाट)
सहायक कलेक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(S. D. O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner